

आदेश

तन ग्राम बटादुरपुरा तहसील खण्डेला जिला
सीकर (राज.) अवस्थित ख. नं. 1, 3, 6, 7,
27, 44, 45, 46, 190 रुकबा 11.86 हे. के
सम्बन्ध में प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी
निवेधाना पाबंद किया जाता है कि वे उक्त
अराजगीघात में वादी के कच्चे कालत में किसी
प्रकार की मजदूमत नहीं करें, श्रृति वादी द्वारा
भस्त्र के हिल में की जाने वाली फल की
बुवाई, जुताई, कटाई में बाधा उत्पन्न नहीं
करें, श्रृति को खुर्द बुर्द नहीं करें, ना ही
निर्माण कार्य करें, ना ही पेड़ काटे, ना ही
ऐसा कोई कृत्य करें जिससे श्रृति वादी को अपने
शांतिपूर्वक उपयोग-उपभोग में बाधा उत्पन्न
हो। तदनुसार पचा डिग्री श्रृतिव हो। पत्रावली
फैमल शुमार होकर नम्बर से कर हो तथा
बाद तहसील दखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आन
दिनांक 27/12/19 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय
में सुनाया गया।



(राजनी सिंह)
27/12/19

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला